

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं०सं०-16/विविध-03-36/2025

पटना, दिनांक-

श्री अनुभूति श्रीवास्तव (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, पटना के पत्रांक-7535 दिनांक-26.08.2025 द्वारा उनके ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-20/2025, दिनांक-18.08.2025 धारा-49/61 बी०एन०एस० 2023 एवं 13(2) सह पठित 13(1) बी०/12 भ्र०नि०अधि०-1988 दर्ज कर उनके निवास एवं अन्य ठिकानों पर दिनांक-19.08.2025 को 04 (चार) स्थानों पर तलाशी/छापेमारी कर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. आर्थिक अपराध इकाई से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथम दृष्टया आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने तथा उनका कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल पाये जाने के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) के तहत श्री अनुभूति श्रीवास्तव (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री अनुभूति श्रीवास्तव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय नगर विकास एवं आवास विभाग निर्धारित किया जाता है।

5. श्री अनुभूति श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-16/विविध-03-36/2025

3608

पटना, दिनांक-04/10/25

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सिवान/श्री अनुभूति श्रीवास्तव, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी/अवर सचिव (स्थापना) एवं आई०टी०, प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

P-1 4-10-25

सरकार के अवर सचिव।